


25/9/22

पञ्चवली पेश हुई। वकील परकारान उपस्थित।
 वादी द्वारा मुकदमा प्रस्तुत। उक्त कामकाज मुकदमा व
 नसवी पेश नहीं करना जाहिर है। वादी को
 को न्यायालय के एगजामिनेट 5-6 अक्टूबर दिनांक
 को रिपोर्ट अवसर दिनांक 22.8.22 को दिया
 जाने के बावजूद भी पेश नहीं करना
 जाहिर है। इस प्रकार किसी भी परकारान
 के न्यायालय के आदेश की पालना नहीं
 करने की अनुमति नहीं है। अतः वाद
 वादी अदालत वकील के खारेज किया
 जाना है। पञ्चवली फैसल शुमार हो कर
 न्यायालय के कठोर एवं वाद वकील दारिद्र्य
 दफ्तार है।


 न्यायाधीश (अधीनस्थ)
 न्यायालय